रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सैन्य अदालतों द्वारा तीनों सेनाओं के जिन कर्मिकों पर मुकदमा चलाया गया था और जिन्हें सजा दी गई थी उनके वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

वर्ष	मुकदमा चलाया गया	दोष सिद्ध हुआ
1996	1371	1324
1997	1479	1395
1998	1365	1319

8. रक्षा कार्मिकों द्वारा दायर किए गए सेवा से संबंधित 1924 मामले (वर्ष 1996-1998 तक) विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं।

9. पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवा से संबंधित 192 मामलों में रक्षा कार्मिकों के पक्ष में निर्णय हुए।

Coast Guard Patrolling in Gujarat

165. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether a proposal of the Gujarat Government to hand over patrolling responsibility to Coast Guards is under consideration of Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when a decision is likely to be taken in this regard?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) Yes, Sir. The State Government has requested that the patrolling of shallow waters should be done by the Coast Guard.

(b) and (c) The Coast Guard is responsible for patrolling the entire coastal area in Exclusive Economic Zone of India including the area off the Gujarat coast. However, the shallow and inland waters cannot be patrolled by the Coast Guard ships as they are not meant for patrolling such areas. However, the Governments of coastal states including Gujarat have jurisdiction in the territorial and inland waters of the respective states. So far, the State Government of Gujarat has been patrolling shallow water stretcn in a scheme of joint patrolling in force. Since the existing vessels of the Coast Guard are not disigned for shallow water patrolling, the State Government of Gujarat will have to continue its patrolling as at present.

रक्षा-कर्मियों की विधवाओं के लिए कल्याण उपाय

166. श्री ओंकार सिंह लखावत: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय सेना के कितने जवान और अधिकारी शहीद हुए,

(ख) सरकार ने उनकी विधवाओं और परिवार के सदस्यों के लिए कितनी धनराशि व्यय की, और

(ग) क्या सरकार ने उनके कल्याण के लिए नई योजनाएं बनाई हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मारे गए सेना कार्मिकों की संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	अफसर	जूनियर कमीशन अफसर	अन्य रैंक प्राप्त
1996	26	22	277
1977	36	26	306
1998	26	28	359
जोड़	88	76	942

सशस्त्र सेनाओं के मारे गए कार्मिकों की विधवाओं तथा परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया जाता है। युद्ध, युद्ध जैसी संक्रियाओं, विद्रोहरोधी संक्रियाओं, सशस्त्र शत्रुओं के साथ मुठभेड़ों/घटनाओं आदि में मारे गए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की विधवाएं और परिवार के सदस्य निम्नलिखित लाभों के लिए हकदार हैं:—

(1) दिवंगत कार्मिक द्वारा अंतिम आहरित वेतन के बराबर उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन।

(2) मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान जो दो माह के वेतन से लेकर अधिकतम 3.5 लाख रुपए तक भिन्न-भिन्न होता है।